न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(परशुराम धानका, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या:– 49 / 2013
प्रविष्टि दिनांक:– 06.09.2013

श्योकरण पिसर मु. गोपी जाति मीणा निवारी ढण्ड उर्फ लक्ष्मीपुरा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज.

.... अपीलाण्ट

बनाम

1. रंगलाल पिसरान किशना जाति मीणा ग्राम ढण्ड उर्फ लक्ष्मीपुरा तहसील टोडारायसिंह
2. सोहन पिसरान किशना जाति मीणा ग्राम ढण्ड उर्फ लक्ष्मीपुरा तहसील टोडारायसिंह
3. मोहन पिसरान किशना जाति मीणा ग्राम ढण्ड उर्फ लक्ष्मीपुरा तहसील टोडारायसिंह
4. झमकू पुत्री किशना जाति मीणा ग्राम ढण्ड उर्फ लक्ष्मीपुरा तहसील टोडारायसिंह
5. प्रभूलाल पुत्र मूलचन्द जाति मीणा ग्राम ढण्ड उर्फ लक्ष्मीपुरा तहसील टोडारायसिंह
6. सत्यनारायण पुत्र प्रहलाद जाति मीणा ग्राम ढण्ड उर्फ लक्ष्मीपुरा तहसील टोडारायसिंह
7. ममता पुत्री प्रहलाद जाति मीणा ग्राम ढण्ड उर्फ लक्ष्मीपुरा तहसील टोडारायसिंह
8. आशा पुत्री प्रहलाद जाति मीणा ग्राम ढण्ड उर्फ लक्ष्मीपुरा तहसील टोडारायसिंह
9. जमना पत्नी स्व. प्रहलाद जाति मीणा ग्राम ढण्ड उर्फ लक्ष्मीपुरा तहसील टोडारायसिंह
10. शर्मा पत्नी स्व. मुकेश जाति मीणा ग्राम ढण्ड उर्फ लक्ष्मीपुरा तहसील टोडारायसिंह
11. जगदीश पि. कालू जाति मीणा ग्राम ढण्ड उर्फ लक्ष्मीपुरा तहसील टोडारायसिंह
12. बदरी पि. कालू जाति मीणा ग्राम ढण्ड उर्फ लक्ष्मीपुरा तहसील टोडारायसिंह
13. छोटू पि. कालू जाति मीणा ग्राम ढण्ड उर्फ लक्ष्मीपुरा तहसील टोडारायसिंह
14. तहसीलदार टोडारायसिंह जिला टोंक

.... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 1242 तहसीलदार टोडारायसिंह दिनांक 05.07.2013

उपस्थितः (1)श्री पवन कुमार जैन, अभिभाषक अपीलाण्ट
(2)श्री जितेन्द्र कुमार जैन,
(2)श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी सं0 11 ता 13

निर्णय

दिनांक 08.08.2022

संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि तहसीलदार टोडारायसिंह ने गोपी पुत्र सुख्खा जाति मीणा की मृत्यु होने पर उसके नाम दर्ज भूमियों के हिस्से का नामान्तरकरण सं. 1242 स्वीकार करने का आदेश पारित किया है। इस आदेश को विधि विरूद्ध बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार टोडारायसिंह से नामा0 1242 की मूल प्रति तलब की गई। अभिभाषक अपीलान्ट एंव अभिभाषक रेस्पोडण्ट्स को बहस हेतु कई अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी अभिभाषगण उपस्थित नही हुये। प्रकरण में रेस्पोडेण्ट सं0 14 की ओर से पेरोकार

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

सरकार उपस्थित हैं। पेराकार सरकार की बहस को सुना जाकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाता है।

अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध एवं वास्तविक तथ्यों के विपरित होने से निरस्त किए जाने योग्य हैं। अपीलान्ट को गोपी पुत्र सुखा ने अपनी जीवन काल में जब अपीलान्ट काफी छोटा था तब ही गोपी के स्वयं के कोई संतान नहीं होने से समाज के रीति रिवाज के अनुसार गोद ले लिया था और अपना गोद का पुत्र बना लिया था इस संबंध में अपीलान्ट के समाज के पंचों द्वारा एक पंचनामा भी लिखकर तैयार किया हुआ है जिस पर ग्राम पंचायत मोरभाटियान की सरपंच, उपसरपंच ग्राम पंचायत खरेड़ा जिला प्रमुख व अन्य समाज के व गांव के व्यक्तियों के हस्ताक्षर मौजूद हैं जिसमें इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया हुआ है कि **गोपी द्वारा श्योकरण को गौद लिया गया है,** गोपी की मृत्यु के बाद उसकी इच्छानुसार उसके सारे कियाकर्म आरा–ओसर संबंधित सभी कार्य श्योकरण द्वारा ही किया गया है और समस्त खर्चा भी अपीलान्ट ने ही वहन किया हैं, गोपी के मरने के बाद उसके बारहवें पर पगडी भी पंचों के समक्ष अपीलान्ट श्योकरण के बंधवायी गयी थी इस प्रकार अपीलान्ट ही गोपी का एक मात्र उत्तराधिकारी तथा वारिस हैं।

अपीलन्ट गोपी की चल व अचल सम्पत्ति पर बहैसियत मालिक, काबिज चला आ रहा है तथा कृषि भूमियों पर रहकर काश्त कर रहा है, अपीलान्ट के राशनकार्ड, मतदाता पहचान–पत्र, बैंक रिकॉर्ड, **जाति प्रमाण–पत्र, मूल निवास प्रमाण–पत्रों में पिता का नाम गोपीलाल ही अंकित किया हुआ है** अन्य सरकारी और गैर सरकारी रिकॉर्ड में अपीलान्ट का नाम गोपी ही दर्ज हैं, अपीलान्ट को गांव में तथा अपने समाज व आस–पास के एरिये में गोपी के दत्तक पुत्र के रूप में ही माना जाता हैं। इस संबंध में ग्राम पंचायत खरेडा पंचायत समिति टोडारायसिंह द्वारा भी इस संबंध में एक प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है जिसमें बाद जांच ग्राम पंचायत ने यह प्रमाण पत्र जारी किया है कि गोपी मीणा के कोई पुत्र–पुत्री नहीं थी इसलिए श्योकरण को नाबालिग अवस्था में पंचों के समक्ष गोपी ने गोद ले लिया था तब से ही अपीलान्ट श्योकरण उसका दत्तक पुत्र चला आ रहा था उसकी पगडी भी अपीलान्ट के बांधी गयी थी। गोपी पुत्र सुख्खा की मृत्यु काफी वर्षों पहले हो चुकी थी जिसके नाम दर्ज भूमियों का विरासत का नामान्तकरण सं. 15 ग्राम ढण्ढ उर्फ लक्ष्मीपुरा अपीलान्ट के पक्ष में भर दिया गया था परन्तु उसे बिना सक्षम न्यायालय के आदेश व डिक्री के अस्वीकार कर दिया जिसको अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं था, विवादित भूमियों के संबंध में अन्य व्यक्तियों ने उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह में पेश किया था उक्त दावा वर्षों से चल रहा था परन्तु उसके निर्णय होने पर उसकी अपील भी राजस्व अपील अधिकारी के यहां चल रही है जो कि विवादित नामान्तकरण तस्दीक करने से पहले से ही विचाराधीन हैं। इस महत्वपूर्ण तथ्य को रेस्पोडेण्ट ने छिपाकर तहसीलदार से मिलीभगत करके चुपचाप नामान्तकरण तस्दीक करवाया है जो कि बिना किसी आधार पर स्वीकार करवाया गया है, निवेदन हैं कि नामान्तकरण तहसील आदेश कमांक 2884/एल–आर/13 दिनांक 06.06.2013 की पालना में भरकर स्वीकृत किया गया हैं जब कि ऐसा कोई आदेश अस्तित्व में नहीं है, तहसीलदार को इस प्रकार का आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त नहीं था साथ ही दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर एवम नोटिस देने के बाद ही कार्यवाही की जानी चाहिए थी जिससे अपीलाधीन नामान्तकरण गलत हैं। पक्षकारान सुखा मीणा के वारिसान है, सुखा के तीन पुत्र हुए जिसमें किशना, गोपी, कालू थे उनमें से गोपी के कोई संतान नहीं थी इस कारण उसने

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलान्ट श्योकरण को गोद लिया था, विवादित आराजियात सुखा की खातेदारी की है, उनमें से कालू के वारिसान के मध्य विवाद पैदा होने पर उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह के यहां दावा पेश किया गया था उस दावे में गोपी के हिस्से के संबंध में तथा अपीलान्ट के हितों के बारे में कोई विवाद नहीं था बल्कि कालू के हिस्से को लेकर विवाद था जिसमें निर्णय पारित किया गया है, **उसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी के यहां चल रही हैं जिसमें स्थगन आदेश प्रभावी हैं** उसके बावजूद भी जब कि सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन हैं तो नामान्तकरण की कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिए था जिससे नामान्तकरण गलत हैं। गोपी पुत्र सुख्खा के नाम दर्ज हिस्से की भूमियों में रेस्पोडेन्टस का अर्थात सुख्खा के पुत्र किशना व कालू के वारिसान का कोई हिस्सा एवं अधिकार किसी प्रकार का नहीं हैं क्योंकि उन्हें किशना व कालू के हिस्से में जो भूमियां बनती है प्राप्त हो चुकी है, गोपी लाऔलाद था उसने अपीलान्ट को गौद ले लिया था इस कारण गोपी का सम्पूर्ण हिस्सा अपीलांट में निहित हो चुका है, किशना के वारिसान ने अपीलान्ट के विरूद्ध कोई आपत्ति भी नहीं उठायी है इसके बावजूद भी विवादित नामान्तकरण स्वीकार कर रेस्पोडेन्ट के नाम स्वीकृत कर दिया एवं नामा. सं. 1242 जो कि सही रूप से भरा गया था को नजरअन्दाज करके अस्वीकार कर दिया जिससे अपीलाधीन नामा. सं. 1242 कानून के विरूद्ध हैं एवं चलने योग्य नहीं हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण सं. 1242 दिनांक 05.07.2013 ग्राम खरेड़ा तहसील टोडारायसिंह निरस्त किया जावें तथा तहसीलदार टोडारायसिंह के यहां प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावें कि नामा. सं0 1242 अपीलान्ट के पक्ष में स्वीकार किया जावें। अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों की पुष्टि में नकल जमाबन्दी हाल संवत् 2068–71, नकल नामा. सं. 1242 वाके ग्राम खरेडा, नकल नामा. सं. 15 ग्राम लक्ष्मीपुरा उर्फ ढण्ढ की फोटो प्रति, नकल पंचों का पर्चा, नकल मतदाता फोटो, नकल राशन कार्ड, नकल आय प्रमाण पत्र, नकल बैंक चैक की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की।

पेरोकार सरकार ने दोराने बहस कथन किया कि तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा विवादित आराजीयात जो वाके ग्राम खरेड़ा में सुखा मीणा की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी। सुखा मीणा के तीन पुत्र किशना, गोपी व कालू थे जिसमें से एक पुत्र गोपी के लाऔलाद फौत हो जाने से शेष भाईयों किशना व कालू के वारिसान रंगलाल, सोहन, मोहन, श्योकरण पि. किशना व झूमा, झमकू पुत्रियां किशना हिस्सा 6/42 प्रभूलाल पि. मूलचन्द हिस्सा 1/84 सत्यनारायण पुत्र प्रहलाद, ममता, श्रवणी उर्फ आशा पुत्रियां प्रहलाद, जमना बेवा प्रहलाद, शर्मा बैवा मुकेश हिस्सा 1/84 जगदीश, बदरी, छोटू पि. कालू हि. 1/6 शेष जमाबन्दी अनुसार नामान्तकरण सं0 1242 ग्राम खरेड़ा तहसील टोडारायसिंह का भरा गया है,जो नियमानुसार वारिसान की जांच कर तथा उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह के निर्णय दिनांक 09.05.2013 की पालना में भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

प्रकरण का अवलोकन किया एवं पेरोकार की बहस पर मनन किया। तहसीलदार टोडारायसिंह ने नामा0 संख्या 1242 दिनांक 05.07.2013 से गोपी के फोत होने से उसके स्थान पर शेष भाईयों किशना व कालू के वारिसान रंगलाल, सोहन, मोहन, श्योकरण पि. किशना व झूमा, झमकू पुत्रियां किशना हिस्सा 6/42 प्रभूलाल पि. मूलचन्द हिस्सा 1/84 सत्यनारायण पुत्र प्रहलाद, ममता, श्रवणी उर्फ आशा पुत्रियां प्रहलाद, जमना बेवा प्रहलाद, शर्मा बैवा मुकेश हिस्सा 1/84 जगदीश, बदरी खरेड़ा तहसील टोडारायसिंह का भरा गया है, जो नियमानुसार वारिसान की जांच कर तथा उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह के निर्णय दिनांक 09.05.2013, जिसमें अपीलांट को गोपी का दत्तक पुत्र नहीं माना हैं, की पालना में भू

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया गया है। साथ ही अपीलांट द्वारा कोई ऐसा पुख्ता दस्तावेज भी पेश नहीं किया गया हैं जिससे अपीलांट का गोपी का दत्तक पुत्र होना सिद्व होता हो। अतः तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा भरा गया नामान्तकरण उचित प्रतीत होता है। उक्त भूमियों के सम्बन्ध में जब वाद न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) टोडारायसिंह के यहां जेरकार था तो वहां पर अपने अधिकारो के समर्थन में अपीलाण्ट को चारा–जोई करनी चाहिए थी। यदि वाद में उन्हे वहां रिलीफ नहीं मिला तो उन्हे नियमानुसार सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए । नामान्तकरण प्रकिया में इससे हक निर्धारण नहीं होते है। अपीलाण्ट को उसके हको के निर्धारण हेतु सक्षम न्यायालय में चारा–जोई करनी चाहिए। अपीलाण्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य या रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे नामान्तकरण सं. 1242 ग्राम खरेड़ा रेस्पोडेण्ट्स के हक में गलत स्वीकार किया जाना सिद्व हो। फलतः उपरोक्त विवेचनों के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
टोंक